समक्ष के. के. श्रीवास्तव और जे. एस. खेहर, जे. जे.

बिशन सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

1999 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2049

11 अक्टूबर, 1999

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-पंजाब पुलिस नियम, 1934-आरएल। *16. 2* शराब पीने के बाद याचिकाकर्ता की ड्यूटी से अनुपस्थिति-सेवा से बर्खास्त-चुनौती-बर्खास्तगी आदेश बरकरार-ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करना और खुद को ड्यूटी से अनुपस्थित रखना अनुशासित बल के सदस्य द्वारा किए गए दुराचार का सबसे गंभीर कार्य है।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता का शराब पीने और कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का कार्य अनुशासित बल के एक सदस्य द्वारा किए गए दुराचार का सबसे गंभीर कार्य है और प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 द्वारा इस पर विधिवत ध्यान दिया गया है।केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने कुछ वर्षों की सेवा की थी और सेवा की समाप्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए था और सेवा की बर्खास्तगी के लिए नहीं, इसका कोई परिणाम नहीं है।

(पैरा 10)

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद 226-पंजाब पुलिस नियम, 1934-आरएल। *16. 2 (2)*-साक्ष्य का मूल्यांकन-यह सुस्थापित सिद्धांत कि उच्च न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठेगा और विभागीय कार्यवाही के दौरान जांचे गए गवाहों के साक्ष्य की फिर से जांच नहीं करेगा-याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा-दंडक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार की गई पूछताछ रिपोर्ट-प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारी और जांच अधिकारियों के पास अपराधी अधिकारी के खिलाफ आरोप के निष्कर्ष पर पहुंचने में तथ्यों और साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए कानून में आवश्यक अधिकार क्षेत्र है।अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठेगा और विभागीय जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के साक्ष्य की पुनः जांच करेगा।जाँच अधिकारी और सजा देने वाला प्राधिकरण सक्षम अधिकारी हैं जिनके पास सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए कानून में आवश्यक अधिकार क्षेत्र है, जिसमें साक्ष्य भी शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष के गवाहों ने जांच के दौरान दर्ज किया और अपराधी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित होने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री पर विचार किया।

(पैरा 8)

याचिकाकर्ता की ओर से एस. के. बंसल, अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण के लिए अतुल महाजन, डी. ए. जी., हरियाणा।

निर्णय

के. के. श्रीवास्तव जे.

(1) याचिकाकर्ता को हरियाणा पुलिस में एक सिपाही के रूप में नामांकित किया गया था और 29 अगस्त, 1977 को नियुक्त किया गया था, वह टी-पॉइंट बैरियर, लाडवा रोड, इंदरी, जिला कमाल में तैनात था।सहायक उप निरीक्षक श्री बलवंत सिंह को उक्त अवरोधक पर प्रभारी के रूप में तैनात किया गया था।4 सितंबर, 1992 को याचिकाकर्ता को उपरोक्त अवरोधक पर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक संत्री ड्यूटी दी गई थी। उपरोक्त प्रभारी निरीक्षक ने अवरोधक पर तैनात कर्मचारी की सूची बुलाई और याचिकाकर्ता को अनुपस्थित पाया।इस संबंध में रोजनामचा रजिस्टर में एक प्रविष्टि की गई थी-रिपोर्ट संख्या 5 (शाम 6 बजे का समय)।हालांकि, क्षेत्र की तलाशी लेने पर याचिकाकर्ता को इंद्री के मेहता फार्म में आम के पेड़ के नीचे नशे की हालत में पड़ा पाया गया।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंद्री में उनकी चिकित्सकीय जांच की गई।चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उसने शराब का सेवन किया था।नतीजतन याचिकाकर्ता को उपरोक्त आरोपों पर अनुलग्नक पी *-1* के माध्यम से आरोप पत्र दायर किया गया। याचियाकर्ता पर ड्यूटी के दौरान शराब पीने और ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया था, उसने लापरवाही और अनुशासनहीनता की थी, जिसे अनुशासित बल का सदस्य होने के नाते अत्यधिक निंदनीय माना गया था।अनुलग्नक पी-2 आरोप का सारांश है, जिस पर जांच अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।याचिकाकर्ता को उनके खिलाफ कथित आरोपों

की जांच के बारे में विधिवत सूचित किया गया था।लेकिन उसने ख़ुद गलती की और वह जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ, जिसने 25 दिसंबर, 1992 को अनुशासनात्मक प्राधिकरण, यानी पुलिस अधीक्षक, करनाल को अपराधी अधिकारी, यानी याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने के लिए लिखित अनुरोध किया था।5 जनवरी, 1993 को पुलिस अधीक्षक ने जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने की अनुमति दी। हालाँकि, 6 जनवरी, 1993 को याचिकाकर्ता स्वतः संज्ञान लेते हुए जाँच अधिकारी के सामने पेश हुआ, जब उसे आरोपों का सारांश, दस्तावेजों की सूची, अभियोजन पक्ष के गवाहों की सूची प्रदान की गई और उसे आरोपों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए समय दिया गया और उसे 8 जनवरी, 1993 को पेश होने का निर्देश दिया गया।याचिकाकर्ता 8 जनवरी, 1993 को जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुआ और उसके ख़िलाफ़ लगाए गये आरोपों से उसने इनकार किया

इसके बाद जांच में अभियोजन पक्ष के नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। याचिकाकर्ता को उनसे जिरह करने और उनके बयानों को नोट करने का पूरा मौका दिया गया था।इसके बाद उन्हें बचाव पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ-साथ बचाव पक्ष में कोई भी जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और उक्त उद्देश्य के लिए मामला 15 अप्रैल, 1993 के लिए निर्धारित किया गया।याचिकाकर्ता ने चूक की और उक्त दिन उपस्थित नहीं हुआ।इसके बाद उनकी उपस्थिति के लिए परवाणों को जारी किया गया, जिन्हें उनके द्वारा विधिवत नोट किया गया था, लेकिन वह किसी भी बचाव साक्ष्य को प्रस्तुत करने या बचाव जवाब प्रस्तुत करने के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए।जाँच अधिकारी ने 26 अप्रैल, 1993 को फिर से पुलिस अधीक्षक से याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करने की अनुमति मांगी, जिसे 27 अप्रैल, 1993 को मंजूरी दी गई थी।जाँच अधिकारी ने 28 अप्रैल, 1993 को याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी ठहराते हुए अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए।अनुशासनात्मक प्राधिकरण, अर्थात पुलिस अधीक्षक ने जांच रिपोर्ट के साथ-साथ जांच के दौरान दर्ज साक्ष्य को देखने के बाद जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता को कारण बताएँ नोटिस जारी किया, जिसे याचिकाकर्ता के पते पर जांच रिपोर्ट की एक प्रति के साथ भेजा गया था, जो याचिकाकर्ता को 18 मई, 1993 को प्राप्त हुई थी।उन्हें कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं दिया।हालाँकि, उन्हें एक अनुस्मारक जारी किया गया था, जिसमें उनके मामले की व्याख्या करने के लिए 16 जून, 1993 को सुबह 9 बजे अनुशासनात्मक प्राधिकरण के समक्ष पेश होने के लिए 5 दिनों का और समय दिया गया था।यह अनुस्मारक उनकी पत्नी श्रीमती शकुंतलाको गाँव के सरपंच श्री कृष्ण दहिया सरपंच की उपस्थिति में में प्राप्त हुआ ।याचिकाकर्ता पुलिस अधीक्षक के सामने पेश नहीं हुआ, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि याचिकाकर्ता के पास कारण बताएँ नोटिस के जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था और उन्होंने जांच अधिकारी के निष्कर्षों की पुष्टि की और याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी ठहराया।पुलिस अधीक्षक ने पाया कि 16 वर्षों की सेवा में, याचिकाकर्ता ने अपनी चरित्र सूची में छह खराब प्रविष्टियां अर्जित कीं।उन्हें चार मौकों पर 15 दिनों की पी. डी. की सजा और परिनिंदा की एक सजा के अलावा स्थायी प्रभाव से भविष्य में होने वाली पांच वेतन वृद्धि को रोकने की सजा दी गई थी।पुलिस अधीक्षक ने देखा कि ये सभी दंड चूककर्ता को जानबूझकर कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के लिए दिए गए थे और वर्तमान मामला चूककर्ता की ओर से गंभीर प्रकृति के कदाचार का कार्य है और उसकी अयोग्यता को दर्शाता है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण/पुलिस अधीक्षक ने याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी और परिणामस्वरूप उसे तुरंतप्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर

दिया-12 जुलाई, 1993 के आदेश के अनुसार, अनुलग्नक पी 6 की प्रतिलिपि।

(2) एक अपील पुलिस अधीक्षक के आदेश के खिलाफ दायर की गई जिसे समय की पाबंदी के कारण पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा आदेश की प्रतिलिपि अनुलग्नक पी7 के माध्यम खारिज कर दिया गया। बाद पुलिस महानिदेशक के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, जिन्होंने पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया।

(3) पीड़ित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस रिट याचिका को दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी6, पी7 और पी8 को अवैध ,अमान्य होने के कारण रद्द करने की प्रार्थना की गई है, और प्रतिवादी/अधिकारियों को सेवा की निरंतरता और वेतन के बकाया सहित सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ सेवा में फिर से स्थापित करने के लिए एक आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(4) रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त अवरोधक के प्रभारी निरीक्षक, श्री बलवंत सिंह, सहायक उप निरीक्षक के खिलाफ पक्षपात और दुर्भावना का आरोप लगाया और अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि उक्त एएसआई उसके खिलाफ दुर्भावना रखता था और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर निकालाना चाहता था।उन्होंने आरोप लगाया कि वह गंभीर रूप से बीमार थे और मेहता फार्म में आराम कर रहे थे।उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने एएसआई प्रभारी को सूचित किया था कि वह शाम को बैरियर पर अपनी ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं होंगे और छुट्टी के लिए अनुरोध किया।यह भी आरोप लगाया गया कि 4 सितंबर, 1992 की रात को ही जब याचिकाकर्ता आराम कर रहा था, तो उसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंद्री ले जाया गया और उसकी चिकित्सकीय जांच की गई।उन्होंने आरोप लगाया कि एएसआई, करनाल द्वारा 19 अप्रैल, 1993 को उन्हें एक अवैध और झूठे आरोप पत्र (अनुलग्नक पी 1) के साथ पेश किया गया था।उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया और जांच अधिकारी को तथ्यों के बारे में बताया।उन पर आरोपों का सारांश दिया गया था-पत्र अनुलग्नक पी 2 के माध्यम से, जिसकी सामग्री आरोप पत्र/अनुलग्नक पी. 1 से पूरी तरह से अलग थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, आरोप के सारांश में नया आरोप लगाया गया था कि कांस्टेबल धरम पाल को याचिकाकर्ता की खोज के लिए भेजा गया था और 'लापरवाही और अनुशासनहीनता' शब्दों से पहले 'सकल' शब्द डाला गया था, जिसका आरोप पत्र में उल्लेख नहीं था।इसके अलावा आरोप-पत्र में, याचिकाकर्ता के कार्य के घंटे शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बताए गए थे, जबकि आरोप के सारांश में उक्त अवधि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बताई गई थी। याचिकाकर्ता ने पीडब्लू-5 चरणजीत सिंह के बयान का हवाला दिया, जिन्होंने कहा

था कि उन्होंने न तो याचिकाकर्ता को शराब पीते देखा है और न ही किसी सहयोगी से ऐसा सुना है।बलवंत सिंह ए. एस. आई. पीडब्लू 7 ने केवल इतना कहा कि लगभग 9:30 बजे कांस्टेबल धरम पाल ने उन्हें सूचित किया कि याचिकाकर्ता मेहता फार्म में आम के पेड़ के नीचे नशे की हालत में पड़ा था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि याचिकाकर्ता बेहोशी की हालत में पड़ा था।पीडब्लू 9 धरम पाल ने कहा था कि उन्होंने याचिकाकर्ता को मेहता फार्म में आम के पेड़ के नीचे पड़ा पाया और लौटने पर उन्होंने एएसआई को इसकी सूचना दी।

उक्त गवाह ने कभी यह नहीं कहा कि याचिकाकर्ता शराब पीकर बेहोशी की हालत में पड़ा था या उसने उस दिन शराब का सेवन किया था।याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दी गई पिछली सजा के संबंध में पीडब्लू-2 कृष्ण कुमार सी. आर. सी. का बयान अवैध रूप से दर्ज किया, हालांकि उक्त सजा पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि न तो उक्त तथ्य का आरोप पत्र, आरोप पत्र के सारांश या अन्य में उल्लेख किया गया था।जाँच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रस्तुत की, जिसने याचिकाकर्ता को इसकी प्रति प्रदान किए बिना और उसका स्पष्टीकरण मांगे बिना अवैध रूप से इसे स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता को 4 सितंबर, 1992 को अपने कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित ठहराया।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता द्वारा पहले से दी गई सेवा की अवधि को ध्यान में नहीं रखा।उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपील का निर्णय पुलिस उप महानिरीक्षक/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सिद्धांतों की परवाह किए बिना और एक गुप्त और गैर-भाषी आदेश पारित करके किया गया था।पुनरीक्षण याचिका को प्रतिवादी संख्या 4/पुलिस महानिदेशक द्वारा एक गैर-भाषी और गुप्त आदेश पारित करके भी खारिज कर दिया गया था।आरोपित आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 16.2 (2) के तहत सेवा से बर्खास्तगी की सजा केवल कदाचार के गंभीर कृत्यों के लिए या निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में दी जानी है जो पुलिस सेवा के लिए अपरिवर्तनीयता और पूर्ण रूप से अयोग्य साबित होता है।सेवा से बर्खास्तगी की सजा देते समय, अपराधी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए पेंशन के दावे पर विचार किया जाना चाहिए।

(5) प्रस्ताव की सूचना एक सीमित बिंदु पर जारी की गई थी (याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था), कि सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ता की सेवा की अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया था, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क को निम्नानुसार नोट किया गया था:

"श्री एस. के. बंसल, अधिवक्ता

यह तर्क दिया है कि भले ही याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोषी ठहराया जाता है, फिर भी उसकी सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जा सकता था न कि पदच्युत का आदेश।

30 मार्च, 1999 के लिए इस सीमित बिंदु पर प्रस्ताव की सूचना।"

(6) .प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से एक संयुक्त जवाब दायर किया गया था।प्रारंभिक प्रस्तुतियों में, यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 12 मार्च, 1993 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन रिट याचिका में कहा गया था कि वर्ष 1999 में दायर किया गया था, जिसे विलंब के आधार पर खारिज किया जा सकता था।गुण-दोष के आधार पर, प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया।प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई का बचाव किया और तर्क दिया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिवत अनुमोदित आरोप पत्र अपराधी को दिया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अपराधी ने 'घोर' लापरवाही और अनुशासनहीनता की थी। चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंद्री द्वारा तैयार की गई चिकित्सा रिपोर्ट से पता चला कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था।यह तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने उस अवधि के दौरान शराब का सेवन किया था जब वह बैरियर पर ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त था।इस बात से इनकार किया गया कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा देने के समय याचिकाकर्ता की सेवा की अवधि को ध्यान में नहीं रखा गया था।अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ पुनरीक्षण प्राधिकरण ने मामले पर विधिवत विचार किया और क्रमशः अपील के साथ-साथ संशोधन को खारिज करते हुए उचित आदेश पारित किए।याचिकाकर्ता द्वारा ड्यूटी के दिन छुट्टी के लिए आवेदन करने के आरोपों को खारिज कर दिया गया था।इस बात से भी इनकार किया गया कि याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने और बचाव पक्ष को पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि प्रतिवादियों/अधिकारियों ने पंजाब पुलिस नियमों के नियम 16.2 (1) के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा है, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू होता है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा की अवधि को सेवा से पदच्युत की सजा देते समय ध्यान में नहीं रखा गया था, जो केवल कदाचार के गंभीरतम कार्य के लिए या पुलिस सेवा के लिए अपरिवर्तनीयता और पूर्ण रूप से अयोग्य साबित होने वाले निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में दिया जा सकता है।

/

(8) यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह न्यायालय अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठेगा और विभागीय जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के साक्ष्य की फिर से जांच करेगा।जाँच अधिकारी और दंडक प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी हैं जिनके पास सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए कानून में अपेक्षित अधिकार क्षेत्र

है, जिसमें जाँच के दौरान दर्ज अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और अपराधी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित होने के निष्कर्ष पर पहुंचने में रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री पर विचार करना शामिल है।तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता को पूछताछ के दौरान गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।जाँच रिपोर्ट पर दंडक प्राधिकरण, अर्थात प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विधिवत विचार किया गया था, जिसने याचिकाकर्ता को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने के समय, जाँच रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न की थी।याचिकाकर्ता ने अपना मामला का प्रतिवाद के लिए जांच अधिकारी के समक्ष अवसर का लाभ नहीं उठाया।जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड पर विचार किया और पाया कि वह आदतन चूककर्ता और अक्षम था और उसने ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन किया था।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंद्री के चिकित्सा अधिकारी ने याचिकाकर्ता को शराब का सेवन करते हुए पाया था।इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को शाम 6 बजे से बैरियर पर काम करना था।याचिकाकर्ता ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रखी है कि उसने उस दिन बैरियर के प्रभारी अधिकारी को छुट्टी के लिए आवेदन किया था और उसे छुट्टी स्वीकृत कर दी गई थी।मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित आरोप का पता लगाने और याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए दंड का दोषी ठहराने में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ कोई गलती नहीं पाई जा सकती है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करने का दोषी पाया गया और वह ड्यूटी से अनुपस्थित रहा।याचिकाकर्ता की कथित अनुपस्थिति के लिए कोई वैध कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 3/पुलिस उप महानिरीक्षक ने वैधानिक अपील का फैसला किया,-उनके आदेश की प्रति अनुलग्नक पी7 के माध्यम से और याचिकाकर्ता द्वारा दायर संशोधन का निपटारा प्रत्यर्थी संख्या 4/पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया था-उनके आदेश की प्रति अनुलग्नक पी8 के माध्यम से, जो दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किए गए कथनों पर विधिवत ध्यान दिया गया था और पुनरीक्षण याचिका पर विचार किया गया था।उत्तरदाता सं. 4 ने पैरा 4 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

> "मैंने पुनरीक्षण याचिका और विभागीय जांच फाइल की जांच की है। विभागीय जांच निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार की गई है और यह किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है।विभागीय जाँच के दौरान संशोधनवादी का दुर्व्यवहार पूरी तरह से साबित हुआ है।उनके पक्ष में कोई विस्तार या शमन कारक नहीं है।उपरोक्त को देखते हुए, मेरे पास नीचे दिए गए अधिकारियों द्वारा पहले से ही पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।इसलिए, मैं पुनरीक्षण याचिका को अस्वीकार करता हूँ।सिपाही बिशन सिंह सं. 798/के. एन. एल., जिन्हें तदनुसार सूचित किया जा सकता है।"

(9) 1998 की सिविल अपील संख्या 4751 में 'स्टेट ऑफ ए. पी. एंड अदर्स वर्सेज सुखविंदर सिंह' शीर्षक वाले मामले में हाल ही में पंजाब पुलिस नियमों के नियम 16.2 में दिखाई देने वाले "दुराचार के गंभीरतम कार्य" की व्याख्या की गई है, जो हरियाणा राज्य में भी लागू हैं और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किए गए हैं:

> "यह आवश्यक है कि पुलिस बल के सदस्य ऐसा करें।उन कर्तव्यों में भाग लें जो उन्हें आवंटित किए गए हैं और वे स्वयं अनुपस्थित नहीं हैं।यह एक सर्वोपरि सार्वजनिक हित है जिसे निजी विचारों से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए।"

> "यह निर्णायक नहीं है कि पदच्युत के आदेश में "दुराचार के गंभीरतम कार्य"

के 'मंत्र' का उपयोग नहीं किया गया था।उस निष्कर्ष उस क्रम में पाया जाना है।जब कोई पुलिसकर्मी बार-बार ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, तो यह उचित रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उसके निरंतर कदाचार में असंगति है।"

(10) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता का शराब पीने और कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का कार्य अनुशासित बल के एक सदस्य द्वारा किया गया गलत कार्य का सबसे गंभीर कार्य है और इस पर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा विधिवत ध्यान दिया गया है।केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने कुछ वर्षों की सेवा की थी और सेवा की समाप्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए था और सेवा की पदच्युत लिए नहीं, इसका कोई परिणाम नहीं है।

(11) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने राम कृष्ण, कांस्टेबल संख्या 141 बनाम में निर्णय पर भरोसा किया। हरियाणा राज्य ने चंडीगढ़ में पुलिस महानिदेशक *(*पुलिस महानिरीक्षक*),* हरियाणा और अन्य *(1)* के माध्यम से*,* जिसमें इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी स्थिति में कदाचार का एक भी कार्य कदाचार का सबसे गंभीर कार्य हो सकता है, लेकिन नियम बनाने वाले प्राधिकरण का आदेश स्पष्ट है कि सेवा से पदच्युतकी सजा सामान्य प्रकृति के कदाचार में नहीं दी जानी चाहिए।

(12) विद्वान एकल न्यायाधीश ने उस मामले के तथ्यों पर ध्यान देने के बाद, जिसमें उन्होंने पाया कि यह याचिकाकर्ता द्वारा शराब लेने का एक अकेला मामला था और जहां याचिकाकर्ता द्वारा इस बात पर विवाद किया गया था कि क्या वह 12 फरवरी, 1983 को सुबह 1:30 बजे (रात) ड्यूटी पर था, क्योंकि उनके अनुसार, वह ड्यूटी से बाहर था और आगे इस बात पर विचार करते हुए कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वह शराब के प्रभाव में उपद्रव पैदा कर रहा था और याचिकाकर्ता ने नौ साल, छह महीने और ग्यारह दिन की सेवा, यानी दस साल से कम की सेवा दी थी, जो पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के तहत पेंशन देने के लिए योग्यता सेवा की न्यूनतम अवधि है और आगे यह ध्यान में रखते हुए कि दंडित करने वाले प्राधिकारी द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि पुलिस कर्मी का यह कदाचार अयोग्य है और उसे पुलिस की सेवा के लिए और उसके पेंशन के दावेदार नहीं बनता।

(13) तत्काल मामले में, जांच अधिकारी का स्पष्ट निष्कर्ष है, जिसे दंडक प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था कि ड्यूटी के दौरान शराब पीने के

याचिकाकर्ता के कृत्य और उसके रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह सेवा में बनाए रखने के लिए अयोग्य था।इन तथ्यों और परिस्थितियों में, उन्हें सेवा से पदच्युत करने की सजा दी गई थी।अन्यथा भी, विद्वान एकल न्यायाधीश के प्रति बहुत सम्मान के साथ, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एक अनुशासित बल के सदस्य, जिसने एक बार शराब का सेवन किया था, के साथ नरमी से व्यवहार किया जाना चाहिए और विशेष रूप से जब वह कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिनियुक्त था।

(14) याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया अगला प्राधिकरण महीपत बनाम हरियाणा राज्य और अन्य *(2)* मामले में है, जिसमें इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि अनुशासित बल में कर्तव्य से अनुपस्थिति एक गंभीर दुराचार होगा, लेकिन कर्तव्य से अनुपस्थिति का मात्र तथ्य अपने आप में घोर दुराचार नहीं हो सकता है और अनुपस्थिति को परिस्थितियों की समग्रता से देखा जाना चाहिए।

(15) कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है।लेकिन तत्काल मामले में तथ्य याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित किए जा रहे आरोपों के संबंध में उत्तरदाताओं/अधिकारियों के निष्कर्ष को उचित ठहराते हैं।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिस अन्य प्राधिकरण पर भरोसा किया गया है, वह हरियाणा राज्य और अन्य बनाम राम प्रताप *(3)* में एक डिवीजन बेंच का फैसला है, जो एक कांस्टेबल के खिलाफ शराब पीने के आरोप के संबंध में है, लेकिन शराब के प्रभाव में नहीं।यह निर्णय के पैरा 4 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "इसलिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऊपर निर्दिष्ट पहले के फैसलों में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण यह था कि एक कांस्टेबल ने शराब का सेवन किया था, लेकिन शराब के प्रभाव में नहीं पाया गया था, यह नहीं कहा जाएगा कि उसने नियमों के तहत विचार किए गए दुराचार का सबसे गंभीर कार्य किया था।उस दृष्टिकोण को नियमों में बाद के संशोधन द्वारा और अधिक समर्थित पाया जाता है।इन परिस्थितियों में, यह इस प्रकार है कि ऐसे मामलों में जहां एक कांस्टेबल ने शराब का सेवन किया है, लेकिन शराब के प्रभाव में नहीं है, उसका मामला "दुराचार के गंभीरतम कार्य" वाक्यांश के तहत नहीं आएगा, जैसा कि स्थिति अब है।"

(17) तत्काल मामले में, तथ्य हरियाणा राज्य (उपरोक्त) में मामले के तथ्यों से अलग हैं।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप स्पष्ट थे कि उसने शराब का सेवन किया था और जब उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंद्री ले जाया गया तो वह शराब के नशे में था, जहां उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और पाया गया कि उसने शराब का सेवन किया शराब का प्रभाव इस कदर था वह पूरी तरह से होश में

नहीं था और यह तब हुआ जब उसे एक बाधा पर कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया गया था।हमारे सुविचारित विचार में, तत्काल मामले में तथ्य पूरी तरह से अलग हैं और उपरोक्त प्राधिकरण इस प्रकार याचिकाकर्ता के लिए कोई मदद नहीं करेगा।

(18) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिस अंतिम प्राधिकारी पर भरोसा किया गया है, वह कांस्टेबल शिव चरण सं. *313* बनाम पुलिस अधीक्षक, गुड़गांव, जिला और अन्य (4)इस पीठ द्वारा दिया गया फ़ैसला है।उस मामले में जांच अधिकारी द्वारा दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य के पूरी तरह से भ्रामक और विकृत होने पर आधारित था और बर्खास्तगी का जुर्माना लगाने के लिए आधार नहीं बना सकता था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 16.2 के सही परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के मामले की जांच करने में प्रत्यर्थी की विफलता ने उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है।विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया।

(19) फ्हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान डी. ए. जी. ने करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (5) मामले में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जिसमें यह पैरा 9 में निम्नानुसार देखा गया थाः

> "याचिकाकर्ता आदतन कर्तव्य से अनुपस्थित रहता था।उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया।अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जिस अभिलेख का उल्लेख किया गया है, उससे पता चलता है कि पिछले अवसरों पर भी याचिकाकर्ता को कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के लिए आठ अलग-अलग अवसरों पर सजा दी गई थी।5 महीने और 5 दिनों तक लगातार ड्यूटी से उनकी अनुपस्थिति कोई अलग कार्य नहीं था।कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के बार-बार कार्य हुए हैं जिनके लिए उन्हें सजा दी गई है और सेवा से बर्खास्तगी की सजा देते समय पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया है।तत्काल मामले के तथ्यों पर, हम यह नहीं पाया हैं कि प्रतिवादीगण की कार्रवाई किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त है।"

(20) हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि अब पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुखविंदर सिंह (ऊपर) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून को देखते हुए, अनुशासित बल के सदस्य की कर्तव्य से अनुपस्थिति दुराचार का सबसे गंभीर कार्य है और सेवा से पदच्युत की सजा देने के लिए पर्याप्त है।

(21) पूर्वगामी चर्चा को देखते हुए, हम इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे खारिज कर दिया जाता है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक

उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा